

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक :- / / 2025

सं० सं०-17/विविध-111/2020 /स्वा०, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सविदा के आधार पर कार्यरत निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को कॉलम-6 में अंकित तिथि से अगले 01 वर्ष के लिये अथवा नियमित नियुक्ति होने तक/प्रोन्नति होने तक अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये सविदा अवधि विस्तारित की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/अधिसूचना	पदनाम/विभाग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	सविदा अवधि की समाप्ति तिथि	सविदा अवधि विस्तार की प्रभावी तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० प्रिया वर्मा 323(17)/11 05 2019 एव 1080(17)/02 11 2022 (योगदान स्वीकृत आदेश)	सहायक प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	30.11 2024	01 12 2024

2- यह सविदा अवधि विस्तार सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-111/2020- 448(17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 07/05/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक सविदा अवधि विस्तार के इन मामलों में आश्वस्त हो लेंगे कि उनकी सेवा 67 वर्ष की आयु से अधिक न हो।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० प्रिया वर्मा, सहायक प्राध्यापक (सविदा), शिशु रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 ,03 ,08, 09, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 विशेष कार्य पदाधिकारी।